[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 11 /2017-सेवाकर

नई दिल्ली,
23 मार्च, 2017

सा.का.नि. (अ)- वित्त अधिनियम, 1994 (1944 का 32) की धारा 65ख के खंड (55), केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली, 2002 के नियम 3, तथा सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 3 के साथ पठित केंद्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतद्द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को सा.का.नि. 648 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 16 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या 20/2014-सेवाकर में विनिर्दिष्ट क्षेत्राधिकार में, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट रैंक के केंद्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, नामत:-

सारणी

केंद्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी	केंद्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी का रैंक जिनकी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा
(1)	(2)
सभी प्रधान आयुक्त जिन्हें केंद्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड के दिनांक 30 दिसंबर, 2016 के आदेश संख्या 151/2016 के तहत मुख्य आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।	मुख्य आयुक्त

[फा.सं. 390/रिव्यू/36/2014-जेसी]

(एम.आर.फारूक़ी)
अवर सचिव, भारत सरकार